

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette
सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250815
SG-DL-E-22122023-250815असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2023/अग्रहायण 30, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 344
No. 372]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21 2023/AGRAHAYANA 30, 1945	[N. C. T. D. No. 344

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

माप एवं तौल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली 19 दिसम्बर, 2023

फा. सं. 6(119) माप एवं तौल/भर्ती नियम एमटीएस/2022/778.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं० जीएसआर 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा माप एवं तौल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (i) इन नियमों को माप एवं तौल विभाग, 'मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)' भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि :- उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :-वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।**6. बचाव :-** इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**अनुसूची**

1.	पदनाम	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
2.	पदों की संख्या	:	20* (2023) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18-25 वर्ष* (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीप :- आयु-सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। * यदि पदों को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के द्वारा भरा जाना है, तो आयु सीमा 18-27 वर्ष के बीच होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य:- मान्यता-प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	:	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	:	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (प्राश0 सुधा0 वि0) - अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य

		3. उप-सचिव (सा0प्रशा0वि0) –सदस्य टीप :- यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
पंकज कुमार, भा.प्र.से. नियंत्रक (माप तोल)

WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi the 19th December, 2023

F.No. F.6(119)W&M/Recruitment Rule MTS/2022/778.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number GSR 840 dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following Rules regulating the method of recruitment to the post of 'Multi Tasking Staff (MTS)' in Weights & Measures Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely: -

1. Short title and commencement: -

(i) These rules may be called the Weights & Measures Department, 'Multi Tasking Staff (MTS)', Recruitment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, their Classification and level in the pay matrix: - The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc: - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in the columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification: - No persons,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax: Where the government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultant with the Competent Authority, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving: Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotions	Period of Probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage	In case of Recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)	(12)	(13)

									ge of the vacancies to be filled by various methods (10)			
Multi Tasking Staff	20* (2023) *subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non - Gazetted Non-Ministerial	Level-1 (Rs.18 000-56900) of the Pay Matrix	Not applicable	18 - 25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by DSSSB /Competent Authority. * In the case of post being filled up by all India open competition, the age limit would be between 18 years and 27 years.	Essential: Matriculation or equivalent pass from Recognised Board /University	Not Applicable	Two Years	By Direct Recruitment	Not Applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) 1. Pr. Secretary/Secretary, (AR Department)- Chairperson 2. Head of the Department concerned- Member 3. Dy. Secretary (GAD)- Member Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson, in case the notified chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.	Not Applicable

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,
PANKAJ KUMAR, IAS Controller (LM)